

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 159/16-17


अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ सा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री गति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जॉब कर समयबद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जॉब प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री श्री राजेन्द्र कुमार बास्की..... वो अंचल निरीक्षक श्री का जॉब प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि गौजा..... थाना नं0..... 692..... गैरमजरूआ खाता नं0 24/74..... दाग नं0 32/114..... रकवा 00-09-00 किरम परती कृषि श्री साकिन..... पिता..... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री को दिनांक 13/9/16..... समय पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।


20/9/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।


31/9/2016
रिश्ता

अभिलेख विस्तारित।
पुनः नोटिश निर्गत करें।


अंचल अधिकारी,
महागामा।

sandha


अभिलेख उपस्थापित।
कोविड - 19 के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया गया
है। कार्यवाहक सहायक को निर्देश दिया जाता है
कि दिनांक 27-08-2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में
अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भूमि से संबंधित
कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस
निर्गत करें।


अंचल अधिकारी,
महागामा।

27/8/2021.

अभिलेख उपस्थापित।

हाजरी पत्र है। साथ - ही - साथ यदि
किस संबंधित कागजात की प्रतियाँ दी गई हैं अभिलेख
दिनांक 31/8/21 को (रखें)


अंचल अधिकारी
महागामा

31.08.2021

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उपनिरीक्षक - सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक मदागागा
से प्रश्नगत भूमि का ऑनच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है
जिसका अवलोकन किया । प्रतिवेदनानुसार अंश/संदेश/सप्ट पंजी II रेंज को भूमि मौजा-बुधुआ
थाना नं- 692 के गैरमजरुआ खाता नं- 24 के
अंडर टाग नं- 32 का अंश रकवा 00-03-00
धूर जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोइडा के
बंदोवस्ती वार्ड नं- 228/1965-66 के द्वारा
गोपी हरिजन पिता- कैलू हरिजन को प्राप्त
हुआ है । वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर गोपी
हरिजन के वंशजों का टखल है ।

अतः उपरोक्त के अंश/सप्ट में अभिलेख
की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
मदागागा ।

अंचल अधिकारी,
मदागागा ।